न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 147 / 2020
निर्णय दिनांक : 29.12.2023

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री भौरिया (मृतक दौराने वाद)

1/1. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र

2. हनुमान पुत्र स्व0 श्री कालू
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री कालू
4. श्रवण लाल पुत्र स्व0 श्री दौला
5. फूलचन्द पुत्र स्व0 श्री दौला
6. कैलाश पुत्र स्व0 पोखर

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रीको औद्योगिक लिमिटेड जरिये रिजनल मैनेजर रीको, पता सीतापुरा, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर के स्थाई निवासी है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र की मद संख्या एक में अंकित है। वादी संख्या एक का पिता व वादी संख्या दो लगायत छः के दादा स्व0 श्री भौरिया के नाम से ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में साबिका खसरा नम्बर 49 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि दिनांक 10.07.1976 को श्रीमान तहसीलदार सांगानेर द्वारा बाडे के लिए आवंटित की गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 27.09.1977 को खोला गया। जिसके अनुसार वादी संख्या एक के पिता व वादी संख्या दो लगायत छः के दादा स्व0 श्री भौरिया को साबिका खसरा नम्बर 49 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में से बट्टा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मु0 बाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। उक्त साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बि[illegible]गण के पूर्वाधिकारी भौरिया पुत्र हरदेव उक्त भूमि पर कच्चे पक्के [illegible] उपयोग उपभोग में लेते आ रहे थे तथा [illegible] पर पुख्ता मकान इत्यादि बनाकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। [illegible]ने सेटलमेन्ट उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 बनाये गये। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996 में रीको औद्योगिक लिमिटेड के लिए ग्राम खुसर की सम्पूर्ण भूमि राज्य हित के लिए अवाप्त कर ली गई जिसमें उक्त खसरा नम्बर भी अवाप्तिधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:55:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

शामिल रहा परन्तु राज्य सरकार द्वारा रीको औद्योगिक लिमि0 के लिए अवाप्त की गई भूमि में से ग्राम खुसर ग्रामवासियों के आवास की आबादी भूमि व बाडे को अवाप्ति से मुक्त रखे तथा आबादी भूमि व बाडो का ग्रामवासियों ने मुआवजा भी राज्य सरकार से प्राप्त नही किया क्योंकि राज्य सरकार को इन लोगो के पूर्नवास करने में काफी दिक्कतें व आर्थिक भार पडता तथा ग्रामवासियों को भी काफी आर्थिक व अन्य असुविधाओं का सामना करना पडता। वादीगण के उक्त हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण में मकानात इत्यादि बने हुये है तथा असेंदराज से अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा राज्य सरकार से वादीगण ने मुआवजा भी प्राप्त नही किया है। परन्तु वादीगण की उक्त भूमि अवाप्तिधीन होने के कारण प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गई। इस कारण वादीगण को उक्त भूमि में अपने मकानात के पट्टे लेने व अन्य ऋण इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। उक्त भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गयी है उसके लिए वादीगण दिनांक 02.01.2020 को प्रतिवादी संख्या एक से मिलकर निवेदन किया कि उक्त भूमि का हमने मुआवजा प्राप्त नही किया है तथा उक्त भूमि पर हमारे मकानात इत्यादि बने हुये है आप उक्त भूमि पर हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाओ तो प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि उक्त भूमि आपके नाम से करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते घोषणा पेश करना लाजमी हुआ। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण की कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि होने के कारण उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या एक का हटाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने हेतु प्रतिवादी संख्या दो को आदेशित किया जावें। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावें कि साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण की कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि होने के कारण उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या एक का हटाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने हेतु प्रतिवादी संख्या दो को आदेशित किया जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 30.01.2020 को प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.02.2020 को प्रतिवादी संख्या एक की ओर से श्री शंकरलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 18.02.2020 को प्रतिवादी संख्या एक की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 03.03.2022 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब पेश किया तथा आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादीगण की ओर स्वीकार करने की सहमति दी गई,

Signature Not Ve
Digitally signed by Ma
Date: 2024.02.02 10
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सांगानेर)

वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार कर वादी संख्या एक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 22.04.2022 को प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या दो को जवाब/रिपोर्ट बाबत् तहरीर जारी की गई। दिनांक 27.10.2023 को प्रतिवादी संख्या एक की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 03.11.2023 को प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी संख्या एक का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज किया गया। दिनांक 20.12.2023 को प्रतिवादी संख्या दो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत न होने पर वादीगण द्वारा आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया, बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी जाकर श्री महावीर सुरेन्द्र जैन अधिवक्ता को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका स्थिति रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 27.12.2023 को श्री महावीर सुरेन्द्र जैन एडवोकेट द्वारा मौका स्थिति रिपोर्ट मय फोटोग्राफस प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों के अभिवचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. आया वाद वादीगण वादग्रस्त भूमि साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रतिवादी संख्या एक

4. अनुतोष

वाद–बिन्दू कायम होने के पश्चात् वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2071–2074 खाता संख्या 14 ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 खाता संख्या 42 ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2024 ग्राम खुसर, तहसील सांगोनर प्रदर्श–6, प्रमाणित प्रति गिरदावरी सम्वत् 2012, 2013, [illegible] 2032, 2033 प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रति गिरदावरी सम्वत् 2008–2011 प्रदर्श–[illegible] मौका मैप की प्रति प्रदर्श–9, मौका कमिश्नर की मौका रिपोर्ट [illegible] प्रदर्श–10, [illegible] रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत मूल फोटोग्राफस प्रदर्श–11 पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में [illegible] डब्ल्यू. 1 गजानन्द पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, पी.डब्ल्यू. 2 कैलाश पुत्र स्व0 श्री पोख[illegible] पी.डब्ल्यू. 3 श्रवणलाल पुत्र स्व0 श्री दौलाराम, पी.डब्ल्यू. 4 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री कालू के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिसके बयान लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में वादीगण की ओर से अन्य साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर साक्ष्यवादी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible] (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahip
Date: 2024.02.02 10:55:
Reason: SelfAttested

बन्द करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण की पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही है। प्रकरण को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे और उसी अनुसार लगान निर्धारण करते हुये सीमा निर्धारण किये जाने का निवदेन किया। हमने बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एकः– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, इस सम्बन्ध में वादी अधिवक्ता का कहना है ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में साबिका खसरा नम्बर 49 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि दिनांक 10.07.1976 को श्रीमान तहसीलदार सांगानेर द्वारा बाडे के लिए आवंटित की गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 27.09.1977 को वादीगण के हकपूर्वाधिकारी के पक्ष में खोला गया जिसका बट्टा नम्बर डालकर खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मु0 बाडा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर किया गया। उक्त साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा को वादीगण के पूर्वाधिकारी व वादीगण उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा वर्तमान में वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज है। इस सन्दर्भ में वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 खाता संख्या 42 ग्राम खुसर, तहसील सांगानेर प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रति गिरदावरी सम्वत् 2012, 2013, 2031, 2032, 2033 प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रति गिरदावरी सम्वत् 2008–2011 प्रदर्श–8 पेश की जिसमें वादीगण के पूर्वाधिकारी भौरिया का नाम बतौर खातेदार के रूप में अंकित है। दौराने सेटलमेन्ट उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 बनाये गये इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–3 है जिससे स्पष्ट है कि साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 बनना साबित होता है। प्रतिवादीगण का यह कथन रहा कि उक्त भूमि अवाप्त की जा चुकी है और मुआवजा वादीगण को दिया जा चुका है, वादीगण का इस सम्बन्ध में कथन रहा कि उक्त भूमि का वादीगण की ओर से कोई मुआवजा राशि प्राप्त नही की है, प्रतिवादीगण की ओर इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण का यह भी कथन रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को छोडकर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है इस सन्दर्भ में मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई जिसमें मौका कमिश्नर द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल फोटोग्राफस् के साथ मौका स्थिति रिपोर्ट पेश की जिसमें वादीगण का कब्जा होना साबित है और

Signature Not V
Digitally signed by M
Date: 2024.02.02 10
Reason: SelfAtteste

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर सिटी (सांगानेर)

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के मकानात बाडा बना हुआ है, प्रतिवादी संख्या 1 का कोई कब्जा नही है। प्रतिवादीगण की इस सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उनके पक्ष में कोई तथ्य साबित होता हो, जबकि वादीगण द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजात् एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि वादीगण तनकी संख्या एक अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या दोः— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या एक पर है, प्रतिवादी संख्या एक की प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रतिवादी संख्या एक इन तथ्यों की पुष्टि करने में असफल रहा है।

तनकी संख्या तीनः— उपरोक्त विवेचानुसार चूंकि तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा तनकी संख्या दो प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वादीगण को वाके खुसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 49/469 रकबा 5 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.09 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या एक के नाम इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:55:29 IST
Reason: SelfAttested

जयपुर।